राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(44) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-I/विवध/2017–18 जयपुर, दिनांक 05 जनवरी, 2018

–: बैठक कार्यवाही विवरण :–

मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.01.2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. श्री राजेन्द्र सिंह कैन, परियोजना निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा।
3. श्री सिरमौर मीना, वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
4. श्री राघेश्याम मीना, वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा।
5. श्री के. के. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन, प्रावधानों एवं योजना की प्रगति से मुख्य सचिव, महोदय को अवगत कराया गया। साथ ही विभाग द्वारा पूर्व में संचालित इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किये गये प्रयासों एवं प्रगति से भी अवगत कराया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रगति की विस्तृत चर्चा उपरान्त मुख्य सचिव, महोदय द्वारा योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुये आवासो को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.12.2017 द्वारा राज्य की प्रगति के परिपेक्ष्य में वर्ष 2018–19 के 2.02 लाख के लक्ष्यों के विरूद्ध 1.43 लाख के लक्ष्य वर्ष 2017–18 में ही स्वीकृति हेतु आवंटित किये गये है। उक्त 1.43 लाख अतिरिक्त लक्ष्यों हेतु प्रावधित राशि से 2.02 लाख आवासों को प्रथम किश्त जारी की जा सकती है। अतः वर्ष 2018–19 के प्रावधित 2.02 लाख के लक्ष्य जिलो को आवंटित कर 15 फरवरी, 2018 तक शतप्रतिशत स्वीकृति जारी कर स्वीकृत आवासों की प्रथम किश्त 28 फरवरी, 2018 तक जारी की जावें।
2. वर्ष 2016–17 की बकाया 23 हजार द्वितीय किश्त 31, जनवरी, 2018 तक जारी करावे।
3. वर्ष 2017–18 की बकाया स्वीकृति, इसी माह जारी कराकर, 28 फरवरी, 2018 तक द्वितीय किश्त जारी करावे।

4. वर्ष 2016–17 के प्रगतिरत, द्वितीय किश्त जारी 1,03,000 आवासों तथा वर्ष 2017–18 के द्वितीय किश्त जारी 69,000 आवासो कुल 1,72,000 आवासों को 28 फरवरी 2018 तक पूर्ण कराया जावे।

5. उक्तानुसार वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक आवंटित लक्ष्य 6.75 लाख आवासों को माह सितम्बर, 2018 तक पूर्ण करने के समुचित प्रयास किये जावे।

6. वर्ष 2017–18 की द्वितीय किश्त राशि रुपये 837.26 करोड ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से दिनांक 15.01.2018 तक जारी करवाई जावे।

7. वर्ष 2018–19 के विरूद्ध इस वर्ष आवटित लक्ष्य 1.43 लाख आवास की ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्रथम किश्त राशि रूपये 536.16 करोड माह फरवरी, 2018 तक जारी करवाई जावें।

8. योजना की जिलेवार समीक्षा करने पर करौली जिले की प्रगति सबसे कम के क्रम में जिले के अधिकारियों के साथ अलग से समीक्षा बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिये गये।

9. योजनान्तर्गत राज्य एवं जिला/ब्लॉक स्तर पर परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) के गठन का प्रावधान है एवं राज्य एवं जिला स्तर पर संसाधनों की कमी के परिपेक्ष्य में राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई हेतु 7 पद एवं जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई हेतु 99 पदों कुल 106 पदों के प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव बाबत वित्त विभाग को प्रस्तुत पत्रावली के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की ओर से अति0 मुख्य सचिव, वित्त विभाग को अर्द्धशासकिय टीप लिखे जाने बाबत निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गई।

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. परियोजना निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा।
6. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
7. वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि